

सक्षम न्यायालय आर्बीट्रेटर एवं जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी - देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं० 08/2022 प्रा०पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.

रामजीलाल मीना पुत्र गोपीराम मीना जाति मीना निवासी ढोलावास तहसील रामगढ़ पंचवारा जिला
दौसा ... प्रार्थी

बनाम

1. भू अवाप्ति अधिकारी (उपखंड अधिकारी) रामगढ़ पंचवारा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील राहुवास
3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क 148 एन ए जरिये परियोजना निदेशक

... अप्रार्थीगण

आपत्ति प्रार्थना अन्तर्गत धारा 3 जी विरुद्ध अवार्ड आदेश भू० अवाप्ति अधिकारी उप जिला
कलेक्टर रामगढ़ पंचवारा

उपस्थित- 1. श्री मुकुट बिहारी शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री रामचरण शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 3

निर्णय

दिनांक 03.09.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ पंचवारा द्वारा ग्राम ढोलावास के खसरा नंबर 423/327 के पारित संरचना मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ़ पंचवारा से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम ढोलावास में स्थित आराजी खतरा नम्बर 423/327 स्थित है उक्त भूमि में से भू० अवाप्ति अधिकारी रामगढ़ पंचवारा द्वारा राष्ट्रीय राज्य मार्ग 148 एन के दिल्ली से बड़ोदरा के सड़क निर्माण हेतु उक्त भूमि में से भूमि अवाप्त कि गई है उक्त भूमि में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में पुख्ता मकानात का निर्माण हो रहा है परन्तु अवाप्ति अधिकारी ने मौके के विपरीत जाकर केवल मात्र भूमि अवाप्तशुदा की ही मुआवजा राशि का ही मुआवजे का निधारण किया है जबकि अवाप्तशुदा भूमि में प्रार्थी के पुख्ता मकानात बने हुए हैं जिसका स्ट्रेक्चर कोड नं. डी बी-580 एच आर एस है इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने भू अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पंचवारा को एक प्रार्थना पत्र अवाप्तशुदा भूमि व उसमें बने पुख्ता मकानात की पुनः जाँच करवाकर पुख्ता मकानात के अवाप्ताशुदा का मुआवजा दिलाने की प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार राहुवास को मौके पर जाँच अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित की है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया ग्राम ढोलावास के खसरा नम्बर 423/327 से एन एच 148 एन ए गुजरने से अवाप्त भूमि पर बने स्ट्रेक्चर नं 580 का मौका देखा गया उक्त स्ट्रेक्चर 92 गुणा 72 वर्गफिट में बना है इसमें से लगभग आधा स्ट्रेक्चर एन एच.148 एन में अवाप्त हो रहा है तथा बाकी बचा स्ट्रेक्चर एलएपी में नहीं आता है। जितना स्ट्रेक्चर एन एच 11 में है उसका मुआवजा दिया जा रहा है। उक्त स्ट्रेक्चर एन.ए.में अवाप्त आ रहा है उसके उपरान्त बचे हुए स्ट्रेक्चर का कोई औचित्य नहीं है एवं उक्त स्ट्रेक्चर यूजलेस हो जावेगा इससे स्पष्ट है कि भू अवाप्ति अधिकारी ने प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि में बने मकानात का मुआवजा निधारित नहीं किया गया है ऐसी सूरत में उक्त अवार्ड आदेश के विरुद्ध आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलेक्टर रामगढ़ पंचवारा का अवार्ड आदेश



जिला कलेक्टर, दौसा



खिलाफ कानून नियम उप नियम व मौके की परिस्थितियों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अवाप्ति अधिकारी द्वारा मौके पर बिना जाँच किये ही मुआवजा राशि का निधारण किया है जबकि अवाप्तिशुदा भूमि खसरा नम्बर 423/327 में पुख्ता मकान स्ट्रेक्चर नं. डी बी 580 में बने हुऐ हैं जिसमें आधा उक्त स्ट्रेक्चर का भाग अवाप्त किया गया है तथा आधा भाग एक प्रकार से यूजलेस हो गया ऐसी सूरत में मौके के अनुसार प्रार्थी को मुआवजा राशि मिलनी चाहिए परन्तु अवाप्त अधिकारी ने तमाम तथ्यो व मौके के अनुसार अवार्ड राशि का निधारण नहीं किया है इसलिए अवार्ड आदेश में संशोधन किया जाकर पुनः मौके अनुसार अवार्ड का निधारण किया जाना आवश्यक है। भू० अवाप्ति अधिकारी ने पटवारी हल्का की मौके की जाँच रिपोर्ट का अवलोकन ही नहीं किया जबकि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि अवाप्त शुदा भूमि में पुख्ता स्ट्रेक्चर बना हुआ है। तथा आधा भाग अवाप्त हो गया है तथा आधा हिस्सा अवाप्त होने के कारण यूजलेस हो गया है व किसी काम का नहीं रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी को मुआवजा पूरा स्ट्रेक्चर के आधार पर दिया जाना चाहिए था परन्तु अवाप्त अधिकारी ने तमाम तथ्यो पर विचार ही नहीं किया इसलिए भी अवार्ड आदेश निरस्त किया जाकर पुनः मौके के अनुसार व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार संशोधन आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आपत्ति अवार्ड आदेश अवाप्ति अधिकारी उप जिला क्लेक्टर रामगढ़ पचवारा दिनांक 30-12-2021 अवार्ड आदेश निरस्त फरमाते हुऐ अवाप्तशुदा भूमि में बने हुऐ स्ट्रेक्चर जिसके सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा अपनी जाँच में अंकित किया गया है इसके आधार पर अवाप्त स्ट्रेक्चर का मुआवजा का पुनः निधारण नियमानुसार करने हेतु उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा भू अवाप्ति अधिकारी को आदेश फरमाया जावे। यह प्रार्थी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र सरसरी तौर पर निरस्तनीय है।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि वाके ग्राम ढोलावास का भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगढ़ पचवारा के द्वारा विधिवत मुआवजा अवार्ड आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी ने गलत आधारों पर मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे खारिज फरमाया जावे।
5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 3 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अपना प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी संख्या 3 को महज परेशान करने की बदनियति से किया है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 3 प्रार्थी से विशेष हर्जा-खर्चा प्राप्त करने के अधिकारी है। अवाप्तशुदा भूमि का जो मुआवजा राशि निर्धारित की गई है वह पूर्णतः विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत ही निर्धारित की गई है, प्रार्थी इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 4117 (अ) दिनांक 21.08.2018 जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 23.08.2018 को प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना का.आ. 4117 दिनांक 21.08. 2018 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 (क) की उपधारा (3) राज्य के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर और नवज्योति में दिनांक 11.09.2018 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 74 (अ) दिनांक 04. 01.2019 जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 05.01.2019 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व समाचार जगत दोनों में दिनांक 26.01.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया। उक्त अधिसूचना के पश्चात् समस्त अधिग्रहित निम्न भूमि जिसमें ग्राम ढोलावास स्थित भूमि खसरा नंबर 423/327 भी



सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत, अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवम् निर्माण का मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि/निर्माण की मुआवजा राशि निर्धारित की गई। अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करवा दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया कि अनुपालना करते हुए अवार्ड पारीत किया गया है तथा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को उनके वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वर्णित उनके स्वामित्व अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा अर्जित भूमि पर स्थित संरचना की धनराशि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा-30 की उपधारा-1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित संरचना के मूल्यांकन / सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर मूल्यांकन रिपोर्ट/आख्या अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त लालसोट के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवाई के आधार पर स्ट्रेक्चर कोड नम्बर DB-580 (LHS) में निर्मित संरचना के संबंध में भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के हक में मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पूरक अधिनिर्णय आदेश दिनांक 04.03.2020 के निम्न प्रकार निर्धारित किया गया :-

क्र.सं	गांव का नाम	खसरा नंबर	भूमि का प्रकार	स्ट्रेक्चर कोड	भू स्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम	भू स्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 3 डी के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
83	ढोलावास	327	निजी	DB-580 (RHS)	रामजीलाल, फैलीराम, रामप्रसाद रामावतार रमेश रामकिशन शिवचरण गोपीराम पुत्र	गोरा पत्नि स्व. गोपी रामजीलाल रमेश पिता गोपी हिस्सा 3/8 बिलारहन रामप्रसाद रामावतार शिवचरण पिता गोपी राम अवतार रमेश हिस्सा 3/8 राहिन पी.एन.बी शाखा डुगरपुर मुर्तहिन रामकिशन फैली पिता गोपी हिस्सा रामकिशन जाति मीना सा देह खातेदार 424/327 घमण्डीलाल सीताराम राधेश्याम हनुमान प्रसाद गोपीराम पिता बट्टी कौम मीना सा देह खातेदार

चैनेज	नेट वेल्यु	मूल दर का 100 प्रतिशत सोलेशियम	कुल निर्धारित प्रतिकर की धनराशि
209+120	22,66,755 /-	22,66,755 /-	45,33,510 /-

अवाप्तशुदा पर निर्मित संरचना एवं निर्माण के सम्बन्ध में अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों एवं भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली के पॉलिसी सर्कुलर (7151)NHAI/11013/ DGM (LA) 543/2017-10APRIL 2017 में जारी पॉलिसी गाईडलाइन के अनुसार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार रूप से प्रस्तुत किया गया है जो अप्रार्थीगण के विरुद्ध चलने योग्य नहीं है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना


 जिला कलेक्टर, दासा

पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया कि अनुपालना करते हुए अवार्ड पारित किया गया है तथा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को उनके वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वर्णित उनके स्वामित्व अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया। सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 4117 (अ) दिनांक 21.08.2018 जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 23.08.2018 को प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना का.आ. 4117 दिनांक 21.08.2018 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 (क) की उपधारा (3) राज्य के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर और नवज्योति में दिनांक 11.09.2018 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 74 (अ) दिनांक 04.01.2019 जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 05.01.2019 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व समाचार जगत दोनों में दिनांक 26.01.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया। उक्त अधिसूचना के पश्चात् समस्त अधिग्रहित निम्न भूमि

जिले का नाम: दौसा तालुका का नाम: रामगढ पचवारा गांव का नाम: ढोलावास				
सर्वेक्षण सं०	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल	भू स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
327	निजी	चही / बारानी ए/ बंजर-1/ बारानी 2	1.41 है०	423 / 327 गोरा पत्नि स्व. गोपी रामजीलाल रमेश पिता गोपी हिस्सा 3/8 बिलारहन रामप्रसाद रामावतार शिवचरण पिता गोपी हिस्सा 3/8 राहिन पी.एन.बी शाखा डुगरपुर मुर्तहिन रामकिशन फैली पिता गोपी हिस्सा 1/4 जाती मीना सा देह खातेदार 424/327 घमण्डीलाल सीताराम राधेश्याम हनुमान प्रसाद पिता बट्टी कौम मीना सा देह खातेदार


वाके ग्राम ढोलावास तह० रामगढ पचवारा जिला दौसा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत, अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवम् निर्माण का मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि/निर्माण की मुआवजा राशि निर्धारित की गई। अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करवा दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया कि अनुपालना करते हुए अवार्ड पारित किया गया है तथा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को उनके वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वर्णित उनके स्वामित्व अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा अर्जित भूमि पर स्थित संरचना की धनराशि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा-30की उपधारा-1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित संरचना के मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर मूल्यांकन आख्या अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त लालसोट के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवाई के आधार पर स्ट्रेक्चर कोड नम्बर कठ-580 (सै) में निर्मित संरचना के संबंध में भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के हक में मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पूरक अधिनिर्णय आदेश दिनांक 04.03.2020 के अनुसार निर्धारित किया गया तथा अवाप्तशुदा पर निर्मित संरचना एवं निर्माण के सम्बन्ध में अर्जित भूमि पर



जिला कलेक्टर, दौसा

स्थित भवन इत्यादि का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों एवं भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली के पॉलिसी सर्कुलर DGM/LA/543/2017-10APRIL 7151/NHAI/11013/2017 में जारी पॉलिसी गाईडलाईन के अनुसार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार रूप से प्रस्तुत किया गया है जो अप्रार्थीगण के विरुद्ध चलने योग्य नहीं है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। किये जाने योग्य है।

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम ढोलावास तहसील राहुवास में स्थित आराजी खसरा नंबर 423/327 भूमि का एवं अवाप्तशुदा संरचना का मुआवजा राशि का निर्धारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वावासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। मुआवजा राशि का निर्धारण प्रार्थी की अवाप्त भूमि की तत्समय की प्रचलित कृषि भूमि की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है एवं प्रार्थी का पुख्ता मकान स्ट्रक्चर नंबर डी.बी. 580 जिसका वैल्यूएशन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिकृत ऐजेन्सी द्वारा किया गया है। ग्राम ढोलावास तहसील राहुवास में स्थित आराजी खसरा नंबर 423/327 भूमि का एवं अवाप्तशुदा संरचना का मुआवजा राशि का निर्धारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वावासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के संपूर्ण नियमों एवं धाराओं को ध्यान में रखते हुए तत्समय उप पंजीयक रामगढ पचवारा द्वारा उपलब्ध कराई गई डी.एल.सी. दर के आधार पर किया गया है। उक्त अवार्ड जारी करने में किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है।
7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
9. प्रकरण में मूल विवाद इस संबंध में है कि क्या प्रार्थी को मात्र अवाप्त किये गये संरचना का मुआवजा दिया जावे अथवा संपूर्ण संरचना का मुआवजा दिया जावे।
10. अवाप्त की गई संरचना का नजरी नक्शा इस प्रकार है:-



जिला कलेक्टर, दासा



11. उपरोक्त नक्शे में देखा जा सकता है कि प्रार्थी को संपूर्ण आवास को अवाप्त नहीं किया जाकर उसके कुछ हिस्से को अवाप्त किया गया है एवं उस हद तक ही मुआवजे का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि जब उक्त हिस्से को अवाप्त कर तोड़ा गया तो इससे घर के अन्य हिस्से को भी क्षति पहुँची है एवं संपूर्ण घर निवास की स्थिति में नहीं है। इस संबंध में मुआवजे का निर्धारण करने के संबंध में तत्समय राज्य सरकार की नीति सार्वजनिक निर्माण विभाग का परिपत्र एक्स-3/2015 लागू थी। हमने उक्त परिपत्र का अवलोकन किया। उक्त परिपत्र में इस प्रकार के प्रकरण जिसमें यदि किसी घर के आधे भाग के अधिग्रहण के संबंध में यदि मूल्यांकन करना हो तो क्या संपूर्ण संरचना का मूल्यांकन कर मुआवजा दिया जायेगा इस प्रकार से कहीं भी अंकन नहीं है। उक्त परिपत्र के अवलोकन से यही निष्कर्ष निकलता है कि जितने भाग का अधिग्रहण किया जा रहा है उसी तक ही संरचना के मूल्यांकन किया जावे। साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने तर्क के कथन में किसी प्रकार का कोई नियम, अधिनियम, कोई केन्द्र या राज्य सरकार का परिपत्र या नीतिगत नियमों की प्रति प्रस्तुत नहीं की है जिससे हम निष्कर्ष पर पहुँच सके कि किसी संरचना के कुछ हिस्से का अधिग्रहण हो रहा हो तो संपूर्ण संरचना का मुआवजा प्रार्थी को दिया जावे। अधेहस्ताक्षरकर्ता स्वयं कोई नीति या नियम बनाने के लिए सक्षम नहीं है।
12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 423/327 वाके ग्राम ढोलावास का पारित मुआवजा अवार्ड आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 सितम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।



(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा